संख्या–1316(5)/26–3–2012–10(8)/2012

प्रेषक,

सदाकान्त
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 23 मई, 2012

23 MAY 2012

विषयः–मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों को एकमुश्त सहायता योजना को समाप्त करने के सम्बंध में।

महोदय,

मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों को एकमुश्त सहायता योजना(लेखाशीर्ष 2225–01–277–08–31 तथा लेखाशीर्ष 4225–01–277–03–35) विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–1965/26–2–2010–19(53)/2005, दिनांक 03.08.2010 द्वारा प्रारम्भ की गयी। योजना के सचालन में अनेक कठिनाइयाँ आयीं, जिससे यह योजना व्यावहारिक नहीं पायी गयी। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल इस योजना को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या–1316(6)/26–3–2012/तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन को उनके पत्रांक 10(4)/35–आ–1/2011–97 दिनांक 16.05.2012 के सन्दर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0(द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)।
6. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय व्ययक)अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया एन0आई0सी0 के ई–मेल के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को भेजने का कष्ट करें।
9. समाज कल्याण अनुभाग–2/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव